न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP02408)
सत्र वाद संख्या– 1033/2022
सरकार बनाम संजय आदि।

दिनांकः– 23.01.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली वादी मुकदमा/अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 358 बी०एन०एस०एस० आदेशार्थ नियत है।

2. अभियोजन/प्रार्थी/वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि "उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 127 सन 2022 अंतर्गत धारा– 147, 148, 452, 504, 506, 352 व आई०पी०सी० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना सिम्भावली वादी मुकदमा लीलू पुत्र गंगाराम ने दिनांक 01.04.2022 की घटना बताते हुये दिनांक 04.04.2022 को थाना सिम्भावली में 1– संजय पुत्र किरन, 2– छोटू, 3– विकास पुत्रगण संजय, 4– राकिन्द्र, 5–टिंकू पुत्रगण भोपाल, 6– कल्लन पुत्र अशोक, 7– जोनी पुत्र नेत्रपाल, 8– अमित पुत्र इन्द्रसैन समस्त निवासीगण ग्राम खुड़लिया, थाना सिम्भावली, जिला हापुड़ को नामजद करते हुये लिखाया था, परन्तु विवेचक महोदय ने विवेचना के उपरान्त 1– संजय, 2– छोटू उर्फ प्रिन्स पुत्र संजय, 3– विकास पुत्र संजय, 4– अमित कुमार इन्द्रसैन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 352, 504, 506, 452 भा०दं०सं० व 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में आरोपपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया तथा राकिन्द्र पुत्र भोपाल, टिंकू कुमार पुत्र भोपाल, अभिषेक पवार उर्फ कल्लन पुत्र अशोक कुमार, जोनी उर्फ प्रशान्त कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह के नाम विवेचना से निकाल दिये। उपरोक्त केस में लीलू पुत्र गंगाराम का बयान दिनांक 19.01.2024 में माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज हुआ तथा पी०डब्लू०–2 के रूप में श्रीमती सरिता पत्नी लीलू का बयान दिनांक 23.04.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज हुआ। दोनों ही गवाहों ने एफ०आई०आर० में नामित अभियुक्तगण 1– संजय पुत्र किरन, 2– छोटू, 3– विकास पुत्रगण संजय, 4– राकिन्द्र, 5–टिंकू पुत्रगण भोपाल, 6–कल्लन पुत्र अशोक, 7– जोनी पुत्र नेत्रपाल, 8– अमित पुत्र इन्द्रसैन द्वारा घटना कारित करना बताया। उपरोक्त केस में संजय पुत्र स्व० किरन सिंह की कई महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 358 बी०एन०एस०एस० स्वीकार कर राकिन्द्र पुत्र भोपाल, टिंकू कुमार पुत्र भोपाल, अभिषेक पवार उर्फ कल्लन पुत्र अशोक कुमार, जोनी उर्फ प्रशान्त कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह को तलब करने के आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।"

3. वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को पूर्व दिनांक पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.01.28 11:27:49 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. प्रार्थी/वादी मुकदमा की ओर से शेष अभियुक्तगण राकिन्द्र पुत्र भोपाल, टिंकू कुमार पुत्र भोपाल, अभिषेक पवार उर्फ कल्लन पुत्र अशोक कुमार, जोनी उर्फ प्रशान्त कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह को विचारण हेतु तलब किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 358 बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा राजवीर द्वारा दी गयी तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि "प्रार्थी दिनांक 01.04.2022 समय करीब नौ बजे जागरण में गया हुआ था, तभी गांव के **संजय पुत्र किरण, छोटू, विकाश पुत्रगण संजय, राकिन्द्र पुत्र भोपाल, टिंकू पुत्र भोपाल, कल्लन पुत्र अशोक, जोनी पुत्र नेत्रपाल, अमित पुत्र इन्द्रसैन** आदि घर पर आकर गाली गलौज करने लगे। प्रार्थी की पत्नी के द्वारा गाली गलौज का विरोध किया तो उक्त लोग हाथों में लाठी डण्डे लेकर घर में जबरजस्ती घुस गये और कहने लगे सालों, चमारों, डेढ़ों, तुम्हे गाँव छोड़ने की धमकी दी थी, उसके बावूजद गाँव नहीं छोड़ा, कहते हुए तभी जाट समाज के लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए प्रार्थी की गर्भवती पत्नी पर लाठी डण्डों और लात घूसों से हमला कर दिया। प्रार्थी की पत्नी के द्वारा शोर मचाने पर प्रार्थी के आस–पास के लोग आ गये, जिन्होंने प्रार्थी की पत्नी को बचाया, जो जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर हमला कर रहे थे। प्रार्थी की पड़ोस में मजदूरी का पैसा देने आये आदिल पुत्र समीर चौधरी, निवासी रतुपुरा, मतलूप पुत्र शमशाद, इस्लामुद्दीन पुत्र आशमोहम्मद चौधरी, निवासी सिखेड़ा, धर्मपाल पुत्र शिवचरण, पिन्टू पुत्र निर्मल, निवासी खुड़लिया आदि लोगों को अपनी और आते देख उक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर, कि चमारों डेढ़ों आज तो बच गये, अगर तुम लोगों ने गांव नहीं छोड़ा तो जान से मार देंगे। प्रार्थी ने 112 नम्बर पर कॉल भी की थी और पुलिस मौके पर आई थी। अतः श्रीमान जी प्रार्थी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कारवाई करने की कृपा करें।"

5. इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी में बयान वादी मुकदमा अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं०, बयान मजरूबा श्रीमती सरिता (वादी की पत्नी), स्वतंत्र गवाह मौ० आदिल के बयान दर्ज हैं, जिनके द्वारा भी अपने बयानों में कथित अभियुक्तगण राकिन्द्र पुत्र भोपाल, टिंकू कुमार पुत्र भोपाल, अभिषेक पवार उर्फ कल्लन पुत्र अशोक कुमार, जोनी उर्फ प्रशान्त कुमार पुत्र नेत्रपाल सिंह का नाम घटना में सम्मिलित लोगों के रूप में लिया गया है।

6. न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में **पी०डब्ल्यू०–01 वादी मुकदमा लीलू** द्वारा कथन किया गया है कि "मैं जाटव समाज से हूं। घटना दिनांक 01.04.2022 की रात 9 बजे की है। उस दिन पड़ोस में जागरण हो रहा था। <u>ये 8 लोग थे; राकेन्द्र, टिंकू, कल्लन, जोनी, अमित, छोटू, विकास, संजय लाठी डण्डे लेकर घर में घुस आए।</u> वहां पर मेरी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। मेरी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए कहा ढेड़ चमट्टों, सालों तुमने गांव नहीं छोड़ा तो जान से मार देंगे और मेरी पत्नी के लत्ते कपड़े फाड़ दिए और गंदी गंदी गाली गलौज देकर अपमानित किया। ज्यादा गंदी गाली दी थी। मां–बहन की गंदी–गंदी गाली दी थी और घर से बाहर पत्नी को खींच लिया। शोर मचाने पर भगदड़ मची। मौके पर मैं भी पहुंचा। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी मारा। मेरी पत्नी चार महीने की गर्भवती थी। मारपीट में मेरी पत्नी को चोटें आयीं।----।" इसी प्रकार **वादी मुकदमा की पत्नी**

पी०डब्ल्यू०–02 श्रीमती सरिता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि "मैं जाटव जाति से हूं। दिनांक 01.04.2022 समय रात्रि 09.00 बजे की घटना है। मैं उस समय अपने घर में खाना खा रही थी। मेरे पति गली में जागरण हो रहा था, वहां थे। संजय, छोटू, कल्लन, विकास, जोनी, टिंकू, राकेन्द्र, अमित मेरे घर में आये। ये लोग मेरे घर में आखर गंदी गंदी गालियां ढेड़ चमट्टे कहने लगे। मैंने गाली देने से मना किया। आठों लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया। चार लोग कमरे में अंदर खींचकर ले गये। जोनी, टिंकू, राकेन्द्र, अमित कमरे में खींचकर ले गये, कपड़े फाड़ दिये। मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। शोर शराबा सुनकर मेरे पति पिन्टू व बहुत सारे लोग आ गये।–––––।" उक्त के अतिरिक्त पी०डब्ल्यू०–03 पिन्टू उर्फ प्रदीप के द्वारा भी घटना में उक्त 8 लोगों की संलिप्तता का कथन किया गया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के तीन साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये हैं– पी०डब्ल्यू०–01 वादी मुकदमा लीलू, पी०डब्ल्यू०–02 वादी मुकदमा की पत्नी श्रीमती सरिता तथा स्वतंत्र साक्षी पी०डब्ल्यू०–03 पिन्टू उर्फ प्रदीप। उपरोक्त तीनों अभियोजन साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष हुए अपने सशपथ बयानों तहरीर प्रदर्श क–01, बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में घटना का समर्थन करते हुए आठों अभियुक्तगण (अभियुक्तगण संजय, छोटू उर्फ प्रिंस, वकास, अमित व प्रस्तावित अभियुक्तगण राकिन्द्र, टिंकू कुमार, अभिषेक पवार उर्फ कल्लन, जोनी उर्फ प्रशान्त कुमार) द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी को उपहति कारित करने के आशय से गृह अतिचार करने, लात, घूसे, लाठी, डण्डों से मारपीट कर उपहति कारित करने, हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग करने, गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने के कथन किये गये हैं।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब आदि 2014 (85) SCC 313** में यह अवधारित किया गया है कि "प्रस्तावित अभियुक्त को तलब करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा साक्ष्य इस स्तर का हो कि उसका खण्डन न करने पर उस व्यक्ति की दोषसिद्धि की युक्तियुक्त संभावना हो, परन्तु ऐसा साक्ष्य प्रथम दृष्टया साक्ष्य अधिक ठोस होना चाहिए।"

9. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर, तहरीर के आधार पर दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन, न्यायालय के समक्ष हुए पी०डब्ल्यू०–01 वादी मुकदमा लीलू, पी०डब्ल्यू०–02 वादी मुकदमा की पत्नी सरिता, पी०डब्ल्यू०–03 पिन्टू उर्फ प्रदीप के बयान तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्तगण राकिन्द्र, टिंकू कुमार, अभिषेक पवार उर्फ कल्लन, जोनी उर्फ प्रशान्त कुमार को अंतर्गत धारा 323/34, 352/34, 452, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा प्रार्थी/वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित अभियुक्तगण राकिन्द्र, टिंकू कुमार, अभिषेक पवार उर्फ कल्लन, जोनी उर्फ प्रशान्त कुमार को धारा 323/34, 352/34, 452, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण के नियत दिनांक हेतु समन जारी हों। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 17.02.2026 को पेश हो।

दिनांक– 23.01.2026

(हनी गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/
एस०टी० एक्ट, हापुड़।